(372)

1रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE
TWO RUPEES INDIA Re.2
TWO RUPEES INDIA Re.2
COURT FEE INDIA Rs.10

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१४ निगरानी R- 3014-I/14

श्री ...... द्वारा आज दि. 9-9-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कौशिक भूषण राजौरिया पुत्र राकेशकुमार राजौरिया, निवासी ग्राम मुडियाखेरा, अम्बाह रोड, मुरैना, तेहसील व जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

——— प्रार्थी

विरुध्द

१- श्रीमती कमलता कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री रमेशचन्द्र कुलश्रेष्ट, निवासिन ग्राम मुडियाखेरा, अम्बाह रोड, मुरैना, तेहसील व जिला मुरैना, (मध्यप्रदेश) ।

२- मध्यप्रदेश शासन ——— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश तेहसीलदार महोदय, तेहसील मुरैना दिनांकी २२-०७-१४ अन्तर्गतधारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक ४४।१३-१४-अ-१२ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनसम्मत नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व निरीक्षक महोदय व्दारा प्रस्तुत वस्तुस्थिति के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का सीमांकन नियमानुसार नहीं किया जा सकता है तब अनावेदक क्रमांक १ व्दारा कराया जा रहा भवन निर्माण

क्रमशः

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3014–एक/2014 जिला–मुरैना

कोविद भूषण विरूद्ध श्रीमती ब्रम्हलता कुलश्रेष्ठ व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मुरैना, जिला–मुरैना के प्रकरण क्रमांक 44/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 22–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 11.3.19 सदस्य	